# झारखण्ड लोक सेवा आयोग
## सर्कुलर रोड, राँची–834001

## प्रेस विज्ञप्ति

**झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा–2021 (विज्ञापन संख्या–01/2021) के लिए जाति प्रमाण–पत्र के संबंध में आवश्यक सूचना।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–4258 दिनांक–30.05.2019 के आलोक में झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा–2021 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01/2021 की कंडिका 7(C)(i) एवं (ii) के क्रम में निम्नांकित जाति प्रमाण–पत्र भी मान्य होंगेः–

**(I)** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र संख्या–1754 दिनांक–25.02.2019 के पूर्व सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण–पत्र भी मान्य होंगे।

**(II)** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र संख्या–1754 दिनांक–25.02.2019 की कंडिका 8.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसार झारखण्ड सरकार में नियोजन हेतु आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की वैद्यता अगले आदेश तक की होगी, किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (संलग्न फार्म संख्या–15) संलग्न करने पर ही विगत वित्तीय वर्ष अथवा उसके पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य किये जायेगें।

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–11) की वैधता निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये होती है। उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र संलग्न करने पर इस प्रमाण–पत्र की वैद्यता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने की वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

2. विज्ञापन की शेष सभी शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

3. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।